

अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी,

वादी/प्रार्थी-

धुकाराम पुत्र प्रभुजी
मीणा मी० जालोर

बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी-


भोवनाराम पुत्र मीणा
जालोर (10)

किस्म मुकदमा - राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र / प/स 53 व 188 नंबर-... 117 / 2018
R.T Act

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुई
19-12-18	<p>वादी सुधार की ओर से अधिवक्ता श्री वमेश कुमार द्वारा वाद बाबत प/स 53 व 188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीमण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीमण जरिए सम्मन तलब होकर मिशाल आयंदा तारीख 07.02.2019 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा जिला-जालोर (राज.)</p>	
7-02-19	<p>पत्रावली आज पेश हुई। आज श्रीमान AC साहब सुधामानादारे पर हैं। अतः मिसल तारीख 7.03.19 को पेश हो।</p> <p>वकेल</p>	
7-3-19	<p>पत्रावली आज पेश हुई। आज श्रीमान AC लाष्ण बाहर पधारे हैं। अतः मिसल तारीख 4.4.19 को पेश हो।</p>	
4.4.19	<p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रतिवादी नं. 8, 9, 10 के सम्मन नामिल प्राप्त। किंतु आज गैर हाजिर रहे। दीगए प्रतिवादीगण के सम्मन अदम नामिल प्राप्त हुए। वादी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना-पत्र</p> <p>सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा जिला-जालोर (राज.)</p>	

बाबत नया वाद प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद विद्वा की अनुमति दिलवाने बाबत पेश किया/वादी अधिवक्ता का उक्त प्रार्थना - पत्र वादी अधिवक्ता के निवेदन के फलस्वरूप वादी के नया वाद प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाज्रा में विचाराधीन वाद, बाबत विभाजन खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा जरिये विद्वावले स्थापित किया जाता है।

मिर्गीय आज्ञा दिनांक 4-4-19 को मुझे न्यायालय में सुनाया गया। जिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो व दाखिल दफतर हो।


सहायक कलेक्टर, जयसन्तपुरा
जिला-जालौर (राज.)